

F.No.14011/25/2008-Delhi-II

Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi
Dated the 27th May, 2011


To
The Secretary,
New Delhi Municipal Council,
Palika Kendra, Sansad Marg,
New Delhi.

Sub.: Laying of Regulations made under the NDMC Act, 1994 on the table to the Parliament.

Sir,

I am directed to refer to your letters No.F.25(1)/CMC/9/2011/D-216 and No.F.25(1)/CMC/9/2011/D-217 dated 26th May, 2011 on the subject cited above and to say that the New Delhi Municipal Council (Maintenance of Accounts) Regulations, 2010 was laid on the table of the Lok Sabha on 15.3.2011 and on the table of Rajya Sabha on 09.03.2011. The New Delhi Municipal Council (Budget Estimates) Regulations, 2010 was laid on the table of the Lok Sabha on 08.03.2011 and on the table of the Rajya Sabha on 09.03.2011.

Yours faithfully,



(Rajeev Kumar)
Section Officer (Delhi-II)

2098

30/5/11

1773/DIR(GA)
3/5

31/5/11

Dir (GA/CS) + FA
Jans

DD (CS)

(29) (31)

paaf

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
10th Level, DELHI SECRETARIAT,
I.P. ESTATE, NEW DELHI

F.No. 04/01/2010/UD/MB/ 18305 - 06

Dated 23/11/10

To

The Deputy Secretary (GAD),
2nd Level, Delhi Secretariat,
I.P. Estate, New Delhi.

Sub: - Gazette Notification of New Delhi Municipal Council (Budget Estimates) Regulations, 2010.

Sir,

I am directed to enclose herewith two copies of the New Delhi Municipal Council (Budget Estimates) Regulations, 2010 (Hindi and English Version) for publication in Delhi Gazette (Part-IV) Extraordinary today itself. It is requested to publish the same and 10 copies of the notification may be forwarded to this department as soon as it is received from press for onwards transmission.

Yours faithfully,

Jyoti Seth

(Jyoti Seth)
Deputy Secretary (MB)
Urban Development Department

*GS/B-A&RB
26/11/10*

*29/11/10
29/11/10*

Copy for information to:

- 1. Sh. Santosh Vaidya (Secretary), NDMC, Palika Kendra, Sansad Margi, New Delhi.

Jyoti Seth
23/11/10

(Jyoti Seth)
Deputy Secretary (MB)
Urban Development Department

*44
29/11*

Dir. (GA/CS)

*Already put up on 24.11.2010,
hence may please file.*

DD (CS)

Jan 26 11

Jitender

6/12/10

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2010/अग्रहायण 2, 1932

[रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 201

No. 179]

DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2010/AGRAHAYANA 2, 1932

[N.C.T.D. No. 201

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2010

फा. सं. 04/01/2010/श.वि./एम.बी./18305-06.—

न.दि.न.पा. परिषद् अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्या 44) की धारा 55 की उप-धारा (3), जिसे धारा 387 की उप-धारा (2) के साथ पढ़ा जाये, में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

“नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (बजट अनुमान) विनियम, 2010”

1. संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तिथि.—(1) इन विनियमों को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (बजट अनुमान) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं : इन विनियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो :

(i) “अधिनियम” से तात्पर्य नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 44) से है।

(ii) “बजट” का तात्पर्य वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व वर्ष के संबंध में परिषद् की अनुमानित आय एवं व्यय को

दर्शाता वार्षिक वित्तीय विवरण से है। इसमें व्यय को पूरा करने के उपाय एवं साधन सम्मिलित हैं। राजस्व लेखे पर व्यय अन्य व्यय से भिन्न है।

(iii) “बजट अनुमान” का तात्पर्य परिषद् द्वारा वर्ष के दौरान समय-समय पर किये गये संशोधन के अनुसार नई दिल्ली के पालिका प्रशासन के लेखे में क्रमशः प्राप्त तथा खर्च होने वाले परिषद् के आय एवं व्यय के अनुमान से है और इसमें उस वर्ष के लिए अन्तिम रूप से स्वीकार किये गये बजट अनुमान सम्मिलित होंगे।

(iv) “पूँजीगत व्यय” में स्थायी प्रकृति के वास्तविक परिसम्पत्ति के उपार्जन के उद्देश्य से या क्षमता, उपयोग अवधि या संचालन में मितव्ययता के रूप में वर्तमान परिसम्पत्ति की उपयोगिता में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया कोई व्यय सम्मिलित है।

(v) “पूँजीगत प्राप्तियों” से तात्पर्य कुल निवेश के संदर्भ में या पूँजीगत परिव्यय पर अंशदान के रूप में और जहाँ ऐसे अंशदान का स्वरूप मूल अंशदान के समान है, प्राप्तियों से है तथा इसमें ऋणों एवं उधार से प्राप्त आय सम्मिलित हैं।

(vi) “विस्तृत शीर्ष” का तात्पर्य लघु शीर्ष के नीचे लेखों के उस शीर्ष से है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विस्तृत लेखा शीर्ष वर्गीकृत है।

(vii) “कार्य” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 11 व 12 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा वैयक्तिक या समूह के रूप में

निष्पादित विभिन्न सेवाओं या क्रिये जाने वाले कार्यकलापों से है।

- (viii) "वृहद शीर्ष" का तात्पर्य विभिन्न कार्यों के अनुरूप लेखों के प्रमुख शीर्ष से है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक लघुशीर्ष वर्गीकृत है और इसे पुनः दो या अधिक लघु शीर्षों में उप-विभाजित किया जा सकता है।
- (ix) "लघु शीर्ष" का तात्पर्य वृहद शीर्ष के अधीनस्थ लेखों के उस शीर्ष से है जिसके अधीन प्रत्येक विस्तृत शीर्ष वर्गीकृत है और इसे दो या अधिक विस्तृत शीर्षों में उप-विभाजित किया जा सकता है।
- (x) "योजित व्यय" का तात्पर्य प्रत्येक योजना या संगठन के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजित परिव्ययों पर व्यय जिनकी व्यवस्था बजट प्रावधान से ऐसे परिव्यय के व्यय की सीमा का संकेत करते हुए की गई है तथा जिन्हें लेखों के साथ-साथ बजट दस्तावेजों में अन्य (गैर-योजित) व्यय से भिन्न दर्शाया गया है।
- (xi) "राजस्व व्यय" का विस्तृत तात्पर्य स्थायी परिसम्पत्ति के सृजन के पश्चात् रखरखाव, मरम्मत, देखरेख पर व्यय तथा परिसम्पत्तियों को परिचालन दशा में बनाये रखने के लिए अपेक्षित कार्यशील व्यय और स्थापना व प्रशासनिक व्ययों सहित परिषद् के दिन-प्रतिदिन के कार्यों पर होने वाले सभी अन्य व्यय जोकि वर्तमान वर्ष के राजस्व से पूर्णतया प्रभारित हैं।
- (xii) "राजस्व प्रवृत्तियों" में करों, चुंगी, दरों या किरायों, उपकरों, प्रभारों, शुल्कों, कीमतों, अनुदानों, उपहारों और अस्त्रधारण प्राप्ति आदि सहित वर्तमान आय की समान प्रकृति की अन्य मदें सम्मिलित हैं।
- (xiii) "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।
- (xiv) प्रयुक्त किये गये सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जिनको इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, उनका अर्थ अधिनियम में परिभाषित किये गये अर्थ अनुसार होगा।

3. बजट अनुमानों का वर्गीकरण.—(1) आय एवं व्यय को चार मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जायेगा :—

- (i) राजस्व प्राप्तियाँ
- (ii) राजस्व व्यय
- (iii) पूंजीगत प्राप्तियाँ, और
- (iv) पूंजीगत व्यय

(2) बजट अनुमानों के आय व व्यय पक्ष को पुनः वृहद शीर्षों, लघुशीर्षों और विस्तृत शीर्षों में वर्गीकृत किया जायेगा।

(3) निर्धारित वृहद एवं लघु लेखा शीर्षों के अन्तर्गत विनियोजन की प्रत्येक इकाई के लिए व्यय के विस्तृत अनुमानों को योजित एवं गैर-योजित व्यय के लिए अलग-अलग तैयार किया जायेगा।

4. नई दिल्ली के नगरपालिका प्रशासन के आय व व्यय के अनुमान :—अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी या इससे पूर्व अनुमान तैयार करेगा और ऐसे स्वरूप में, जैसाकि परिषद् समय-समय पर अनुमोदित करती है, परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

- (i) नई दिल्ली नगरपालिका निधि के "सामान्य लेखे" में बकायों, यदि कोई है, के अनुमान के साथ-साथ अधिनियम की धारा 54 एवं 131 में संदर्भित अन्य विशेष निधियाँ जोकि आगामी वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्विनियोजन या व्यय के लिए उपलब्ध होंगी ;
- (ii) नई दिल्ली के नगरपालिका प्रशासन के लेखे में आगामी वर्ष में कराधान से अतिरिक्त परिषद् की आय का अनुमान;
- (iii) सम्बद्ध धाराओं या विनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित खर्चों को पूरा करने के पश्चात् आगामी वर्ष के अन्त में बिना व्यय हुई नई दिल्ली नगरपालिका निधि या अधिनियम के अन्तर्गत सृजित कोई विशेष या अन्य निधि के रूप में आधिक्य राशि का अनुमान;
- (iv) अधिनियम के अध्याय 8 के प्रावधानों के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी वर्ष में लगाये जाने वाले विभिन्न पालिका कर, दरें और उपकरों की दरें जो उसकी राय में आवश्यक या वांछनीय है, तथा उनसे अनुमानित प्राप्तियों के प्रस्तावों का विवरण;
- (v) अधिनियम के अन्तर्गत गठित किसी अन्य निधि या निधि में स्थानान्तरित राशि का विवरण;
- (vi) अनुदानों, ऋणों व अग्रिमों सहित पूंजीगत स्वरूप की प्राप्तियों का अनुमान;
- (vii) ऋणों की वापिसी का अनुमान, एवं
- (viii) नई दिल्ली के नगरपालिका प्रशासन के लेखे में आगामी वर्ष में उसकी राय में परिषद् द्वारा खर्च किये जाने वाले व्यय का अनुमान जिसमें निम्नलिखित ही होगा :
 - (क) मूल और ब्याज सहित सभी राशियों के भुगतान के लिये प्रावधान जिसके लिए परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत उनके देय होने पर देनदार है;
 - (ख) अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त समझी गई व स्वीकृत उचित राशि का शोधन-निधियों तथा अधिनियम के अन्तर्गत गठित या रखरखाव की जा रही विशेष निधियों में विनियोजन का प्रावधान;
 - (ग) किसी शोधन निधि या अधिनियम के अन्तर्गत या द्वारा गठित या रखरखाव की जा रही विशेष निधि में उपलब्ध बकायों से अदा किये जाने वाले ऐसे व्यय के लिए प्रावधान जिसे आवश्यक समझा जाए;
 बशर्ते कि ऐसे व्यय को संगत लेखा शीर्षों के अन्तर्गत भिन्न विवरण में विधिवत् रूप से प्रस्तुत किया गया हो।

(घ) किसी शोधन निधि, यदि कोई हो, और अधिनियम के अन्तर्गत या द्वारा रखरखाव की जा रही किसी विशेष निधि के बकायों के सिवाय वर्ष की समाप्ति पर नकद बकाया, जो एक लाख रुपये या जो परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि नियत करे, के नकद बकाया के लिए प्रावधान ।

5. संशोधित बजट अनुमानों की स्वीकृति.—(1) अध्यक्ष, परिषद् के समक्ष आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमानों के साथ वर्तमान वर्ष के आय व व्यय के संशोधित बजट अनुमानों को प्रस्तुत करेगा ।

(2) संशोधित बजट अनुमान पर सामान्य चर्चा तथा अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य अतिरिक्त विवरणों पर विचार करने के पश्चात् परिषद् द्वारा यथासंभव 31 जनवरी, तक संशोधित बजट अनुमानों को स्वीकार कर लिया जायेगा :

बशर्त कि वर्ष के दौरान ऐसा व्यय परिषद् द्वारा स्वीकार किये गये संशोधित बजट अनुमानों, सिवाय परिषद् द्वारा पारित अतिरिक्त बजट अनुदान, से अधिक नहीं होगा ।

6. परिषद् द्वारा कर-राजस्व के बजट-अनुमानों पर विचार.—(1) परिषद् अध्यक्ष से प्राप्त किये गये विवरण, यदि कोई हो, के साथ उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये बजट अनुमानों पर चर्चा करेगी तथा प्रत्येक वर्ष की पहली फरवरी से पूर्व उपरोक्त विनियम 4 के परिच्छेद (4) में वर्णित प्रस्तावों के विवरण पर सामान्य चर्चा को समाप्त करेगी ।

(2) परिषद् प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को या इससे पूर्व लगाये जाने वाले विभिन्न नगरपालिका करों, दरों एवं उपकरों की दरों को भी निश्चित करेगी ।

7. बजट अनुमानों की अन्तिम स्वीकृति.—(1) यदि संशोधित बजट अनुमानों या बजट अनुमानों को प्रस्तुत करने और संशोधित बजट अनुमानों को स्वीकार करने की उपरोक्त विनियम 4 व 5 में नियत तिथियों का अनुपालन नहीं किया जा सकता तो अध्यक्ष परिषद् को उक्त तिथियों का अनुपालन न किये जा सकने का कारण सूचित करेंगे तथा परिषद् इसके प्रस्तुतीकरण के लिए संशोधित सारिणी, इस शर्त पर कि अधिनियम के अन्तर्गत अन्य दायित्वों एवं बाध्यताओं सहित धारा 55 की उप-धारा (1) की अपेक्षाओं के आधार पर अनुमोदित करेंगे । परिषद् आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान एवं वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान, जो उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, या ऐसे परिवर्तन जो आवश्यक एवं वांछनीय समझे गये हैं प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को या इससे पूर्व स्वीकार करेगी ।

(2) यदि किसी अपवादात्मक/विशिष्ट कारणों से, अध्यक्ष वर्तमान वर्ष का विस्तृत संशोधित बजट अनुमान तथा आगामी वर्ष का विस्तृत बजट अनुमान परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है तो अध्यक्ष संशोधित बजट अनुमानों एवं बजट अनुमानों का सार प्रस्तुत करेगा तथा परिषद् संशोधित बजट अनुमानों एवं बजट अनुमानों का सार 31 मार्च को या इससे पूर्व स्वीकृत करेगी । आगामी वर्ष के लिए विस्तृत बजट अनुमान, 31 मार्च के पश्चात् परन्तु अधिकतम 30 जून तक प्रस्तुत एवं स्वीकार किये जायेंगे ।

8. बजट आवंटन का पुनर्विनियोजन.—(1) यदि वर्ष के दौरान किसी समय एक कार्य से दूसरे कार्य या एक ही कार्य में एक वृहद शीर्ष से दूसरे वृहद शीर्ष में, या एक ही वृहद शीर्ष के अन्तर्गत एक लघु शीर्ष से दूसरे लघु शीर्ष में वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान में बढ़ोतरी या कमी करना आवश्यक हो जाता है, और इससे व्यय करने के लिए परिषद् द्वारा संशोधित बजट अनुमान को स्वीकार करने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, तो वित्तीय सलाहकार की अनुशंसा पर अध्यक्ष, परिषद् की अनुमति की पूर्व-प्रत्याशा से, ऐसे परिवर्तन की स्वीकृति देंगे तथा त्रैमासिक की समाप्ति पर एक मास के भीतर ऐसे परिवर्तन की रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा इससे सम्बद्ध परिषद् द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है तो उसे कार्यान्वित किया जाएगा ।

(2) अध्यक्ष प्रथम व द्वितीय तिमाही के लिये त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ पिछली तिमाही के दौरान आय एवं व्यय के रुझान की रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करें तथा परिषद् रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात् राजस्व को बढ़ाने तथा व्यय को कम करने, जैसे भी आवश्यक समझा जाये, के उपायों का सुझाव देगी ।

9. बजट नियंत्रण.—(1) अधिनियम की धारा 47 में किये गये प्रावधान के सिवाय, नई नगरपालिका निधि से कोई व्यय नहीं किया जाये जब तक कि वह व्यय वर्तमान बजट-अनुदान के अन्तर्गत न आता हो ।

(2) किसी व्यय को करने से पूर्व उसके बजट शीर्ष की पहचान अवश्य की जाए ।

(3) खर्च करने से पूर्व, व्यय की अधिनियम में इसके लिए निर्धारित प्रक्रियाओं तथा इस संबंध में परिषद् द्वारा स्वीकृत किये गये नियमों एवं विनियमों के अनुसार उचित प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत होनी चाहिए ।

10. बजट भिन्नता रिपोर्ट.—अध्यक्ष बजट के संदर्भ में, प्राप्तियों एवं व्यय के रुझानों की प्रत्येक तिमाही में समीक्षा करेंगे तथा परिषद् के समक्ष इस समीक्षा का निष्कर्ष अध्यक्ष द्वारा तैयार स्वरूप में बजट-भिन्नता रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
बी. वी. सेल्वराज, प्रधान सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd November, 2010

F. No. 04/01/2010/UD/M B/18305-06.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 55 read with sub-section (2) of Section 387 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (Act No. 44 of 1994), the New Delhi Municipal Council, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

The New Delhi Municipal Council (Budget Estimates) Regulations, 2010

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the New Delhi Municipal Council (Budget Estimates) Regulations, 2010.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (i) "Act" means the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994);
- (ii) "budget" means an annual financial statement showing the estimated income and expenditure of the Council in respect of a year before the commencement of that year. It includes ways and means to meet the expenditure. Expenditure on revenue account is distinguished from other expenditure;
- (iii) "budget estimates" means the estimates of the income and expenditure of the Council to be received and incurred respectively on account of the Municipal Government of New Delhi as may be revised by the Council from time to time during the year and include the budget estimates finally adopted for that year;
- (iv) "capital expenditure" include any expenditure incurred with the object of acquiring tangible assets of a permanent nature or enhancing the utility of existing assets in terms of capacity, life span or economy of operations;
- (v) "capital receipts" means the receipts with reference to the total investment or by way of contribution towards the capital outlay and where such contribution has the characteristics similar to those of the original contribution and, includes receipts from loans and borrowings;
- (vi) "detailed head" means the head of accounts immediately subordinate to a minor head under which each detailed head is classified;
- (vii) "function" means various services or activities undertaken by the Council under Sections 11 and 12 of the Act, either individually or collectively as a group;
- (viii) "major head" means the principal head of accounts corresponding to the different functions under which each minor head is classified and may be further sub-divided into two or more minor heads;
- (ix) "minor head" means the head of accounts immediately subordinate to a major head under which each detailed head is classified and may be further sub-divided into two or more detailed heads;

(x) "plan expenditure" means expenditure on Plan outlays approved for each scheme or organization by the Planning Commission indicating the extent to which such outlays are met out of budgetary provisions and shown distinctly from the other (Non-Plan) expenditure in the accounts as well as in the budget documents;

(xi) "revenue expenditure" broadly means charges subsequent to creation of a permanent asset, on maintenance, repair, upkeep and working expenses required to maintain the assets in a running order as also all other expenses incurred for the day-to-day running of the Council including establishment and administrative expenses which are fully charged to current year revenue;

(xii) "revenue receipts" include all receipts from taxes, duties, rates, or rents, cesses, charges, fees, costs, grants, gifts and similar other items of current income including extraordinary receipts, etc.;

(xiii) "section" means a section of the Act;

(xiv) all other words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings as defined in the Act.

3. **Classification of budget estimates.**—(1) The income and expenditure shall be classified under four broad heads—

- (i) Revenue Receipts;
- (ii) Revenue Expenditure;
- (iii) Capital Receipts; and
- (iv) Capital Expenditure.

(2) Both income and expenditure sides of budget estimates shall further be classified under major heads, minor heads and detailed heads.

(3) The detailed estimates of expenditure for each unit of appropriation under the prescribed major and minor heads of accounts shall be prepared separately for Plan and Non-Plan expenditure.

4. **Estimates of income and expenditure on account of Municipal Government of New Delhi.**—The Chairperson shall on or before the 15th day of January each year prepare and lay before the Council, in such form as the Council may, from time to time, approve—

- (i) an estimate of the balances, if any, in the "General Account" of the New Delhi Municipal Fund as well as other special funds referred to in Sections 54 and 131 of the Act which will be available for re-appropriation or expenditure at the commencement of the ensuing year;
- (ii) an estimate of the Council's income on account of the Municipal Government of New Delhi for the ensuing year other than from taxation;

- (iii) an estimate of the surplus money that may remain unspent in New Delhi Municipal Fund or any special or other fund created under the Act at the end of the ensuing year after meeting the requirements under the relevant sections or regulations;
- (iv) a statement of proposals, with reference to the provisions of Chapter VIII of the Act, as to the rates at which various municipal taxes, rates and cesses will, in his opinion, be necessary or expedient to be levied under the provisions of the Act in the ensuing year and the estimated receipts therefrom ;
- (v) a statement of sums transferred from or to any other fund constituted under the Act ;
- (vi) an estimate of receipts of capital nature including grants and loans and advances;
- (vii) an estimate of loans repayments; and
- (viii) an estimate of the expenditure which should, in his opinion, be incurred by the Council in the ensuing year on account of the Municipal Government of New Delhi which shall also—
- (a) provide for the payment, as they fall due, of all sums and of all installments of principal and interest for which the Council may be liable under the Act ;
 - (b) allow for an appropriation to the sinking funds and the special funds constituted or maintained by or under the Act, of such sum as is deemed proper by the Chairperson ;
 - (c) provide for such expenditure, if any, as may be considered necessary, to be defrayed from the balances available in any sinking fund and special fund constituted or maintained by or under the Act :
 Provided that such expenditure is duly presented in a distinct statement under appropriate heads of account;
 - (d) allow for a cash balance at the close of the year exclusive of the balance, if any, in any sinking fund and any special fund maintained by or under the Act, of not less than one lakh rupees or such higher sum as the Council may determine from time to time.

5. Adoption of revised budget estimates.—(1) Along with the budget estimates for the ensuing year, the Chairperson shall place before the Council, revised budget estimates of the income and expenditure of the current year.

(2) After the general discussions on the revised budget estimates and considering additional details, placed

if any by the Chairperson, the revised budget estimates shall be adopted by the Council, as far as possible, by the 31st day of January of the year ;

Provided that such expenditure during the year shall not exceed the revised budget estimates so adopted by the Council, except by passing of additional budget grant by the Council.

6. Consideration of budget estimates of tax revenue by the Council.—(1) The Council shall consider the budget estimates laid before it along with the details, if any, further collected from the Chairperson and conclude the general discussions on the statement of proposals as detailed in clause (iv) of regulation 4 above before the 1st day of February each year.

(2) The Council, on or before the 15th day of February each year, shall also determine the rates at which various municipal taxes, rates and cesses shall be levied.

7. Final adoption of budget estimates.—(1) If dates for presentation of the revised budget estimates or the budget estimates and adoption of revised budget estimates, as stipulated in regulations 4 and 5 above, cannot be adhered to, the Chairperson shall inform the Council of the reasons due to which the said dates cannot be adhered to and the Council may approve revised schedule for such presentation subject to the requirements of sub-section (1) of Section 55 and other duties and obligations under the Act. The Council may adopt the budget estimates for the ensuing year and revised estimates for the current year, as they stand submitted to it or subject to such alteration as it may consider necessary or expedient, on or before the 31st day of March of every year.

(2) If due to any exceptional reasons, the Chairperson is not in a position to present detailed revised budget estimates of the current year and detailed budget estimates of the ensuing year to the Council, the Chairperson may present an abstract of both revised budget estimates and budget estimates and the Council shall adopt such abstract of revised budget estimates and budget estimates on or before 31st day of March. The detailed presentation and adoption of budget estimates for ensuing year shall be presented after the 31st day of March, but not later than 30th of June.

8. Reappropriation of budget allocation.—(1) If at any time during the year, it becomes necessary to increase or reduce budget estimates of the current year under one function to another function or from one major head to another major head within the same function, or from one minor head to another minor head within the same major head and the expenditure from the same cannot wait adoption of revised budget estimates by the Council, on the recommendations of the Financial Advisor, the Chairperson, in anticipation of the approval of the Council, may authorise such alteration and place before the Council within one month from the end of the quarter, a report of such alteration and give effect to any order that may be passed by the Council in relation thereto.

(2) Along with the quarterly report for the first and second quarter, the Chairperson may also place before the Council, a report on the trend of income and expenditure of the previous quarter and Council may, after review of the report, suggest measures to increase the revenue or reduce the expenditure as may be considered necessary.

9. Budgetary Control.—(1) No expenditure out of the New Delhi Municipal Fund, except as provided in Section 47 of the Act, shall be incurred unless covered by a current budget-grant.

(2) Any expenditure prior to its being incurred must be identified to its budget head.

(3) Any expenditure prior to being incurred should be backed by appropriate administrative, technical and financial sanctions in accordance with the procedures laid out in this regard in the Act and the rules and regulations adopted by the Council in this regard.

10. Budget variance report.—The Chairperson shall review every quarter, the trends in receipts and expenditure in relation to the budget, and place before the Council the outcome of such review on a budget variance report in the form as may be prepared by the Chairperson.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

B. V. SELVARAJ, Principal Secy.